

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 148]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 मई 2023—वैशाख 18, शक 1945

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मई 2023

आर-501-2022-बी-3-दो.- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में यथा विनिर्दिष्ट पुलिस थाने के नाम को, कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट पुलिस थाने के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा करती है, अर्थात् :-

सारणी

पुलिस थाने का विद्यमान नाम	पुलिस थाने का नवीन नाम
(1)	(2)
नयागांव	चित्रकूट

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव राजपूत, सचिव.

Bhopal, the 8th May 2023

R-501-2022-B-3-Two .- In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the State Government, hereby, declares to change the name of Police Station as specified in column (1) as the Police Station as specified in column (2) of the table given below, namely:-

TABLE

Exiting name of the Police Station	New name of the Police Station
(1)	(2)
Nayagon	Chitrakoot

2. This Notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GAURAV RAJPUT, Secy.